



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी हापुड वन प्रभाग, हापुड।

पत्रांक: 1331 / 14-1,

दिनांक,

हापुड 05, नवम्बर, 2020

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

विषय: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा कैनल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.144 हे० एवं 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड के अन्तर्गत अपर गंगा कैनल मील 107 से 107.984 तक सालिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 000.6716 हे० एवं बाघक 91 वृक्षों के पालन कुल 0.8156 हे० संरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण एवं कुल बाघक 105 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: भारत सरकार की पत्र सं०-8वी/यू०पी०/०६/१०२/२०१९/एफ०सी०/९५९, दिनांक 12.10.2020 एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद का पत्रांक 2057/14-1 दिनांक 05.11.2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण में गैर वन भूमि में वृक्षारोपण से सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय के पत्रांक 729/14-1, दिनांक 15.09.2020 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित किये गये हैं। उक्त अभिलेख ऑनलाईन अपलोड कर पूनः आपको प्रेषित किये जा रहे हैं।

Observe No.	Observation of GOI	Reply
1	Certificate of DFO indicating suitability of land proposed for Compensatory Afforestation shall be submitted.	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्रांक 155/4/ई०ई० जोन-5/2020 दिनांक 20.08.2020 द्वारा जनपद गाजियाबाद एवं जनपद हापुड में प्रयुक्त होने वाली गैर वन भूमि मधुवन बापूधाम आवासीय योजना में 0.8156 हे० ग्रीन बेल्ट हेतु आरक्षित भूमि ग्राम रसूलपुर याकुतपुर को वन विभाग के देने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। तथा उक्त भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न हैं।
2	Since the user agency is State Government as recommended by DFO. CA to be taken up on equivalent Non Forest Land (NFL) instead of degraded Forest land. Accordingly revised CA scheme of plantation on 0.8156 ha. of NFL shall be submitted.	उक्त भूमि में आने वाले व्यय 10 वर्षों अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित हैं।

हापुड वन प्रभाग की अनुपालन आख्या निम्नानुसार हैं:-

Observe No.	Observation of GOI	Reply
1	Certificate of DFO indicating suitability of land proposed for Compeensatory Afforestation shall be submitted.	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्रांक 155/4/ई0ई0 जोन-5/2020 दिनांक 20.08.2020 द्वारा मधुवन बापूधाम आवासीय योजना में 0.8156 हे0 ग्रीन बेल्ट हेतु आरक्षित भूमि ग्राम रसूलपुर याकुतपुर को वन विभाग के देने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। तथा उक्त भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न हैं।
2	Since the user agency is State Government as recommended by DFO. CA to be taken up on equivalent Non Forest Land (NFL) instead of degraded Forest land. Accordingly rasided CA scheme of plantation on 0-8156 ha. of NFL shall be submitted.	उक्त भूमि में आने वाले व्यय 10 वर्षा अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय
05.11.2020
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड वन प्रभाग हापुड।

पत्रांक 1331/141 दिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05.11.2020
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड वन प्रभाग, हापुड।